

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रं. 443 दिनांक 14.08.2013 के

निर्देशानुसार जिला न्यायालय में प्रतिलिपि कार्य के लिये शर्तें

1. एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ग्यारंटी/ई.एम.डी. के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 01 वर्ष की अवधि के लिये वैध हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय, उज्जैन में आवश्यक रूप से **दिनांक 20.06.2025 को 5:00 बजे तक** जमा हो जानी चाहिये। अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश, की निविदाएं निरस्त की जावेगी।
2. निविदाएं **दिनांक 23.06.2025 को समय 5.00 बजे** जिला न्यायालय भवन, उज्जैन में गठित प्रशासनिक समिति, उज्जैन के समक्ष उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएं प्रस्तुत की हैं अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा के नियम, शर्तों एवं दरों में कोई कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये। सभी प्रारूप/संलग्नक-1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होना चाहिए।
3. जिसकी निविदा चुनी जावेगी उसे संस्वीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफारमेन्स ग्यारंटी के रूप में 5 प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ.डी.आर. /अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में देनी होगी। परफारमेन्स सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिये वैध होगी जिसमें वारंटी/त्रुटि उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।
4. संस्था द्वारा प्रतिलिपि प्रति कापी की दर के हिसाब से **समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर** प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिये पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिये।
5. फोटोकापी मशीन जिला न्यायालय के परिसर में उसके निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालयीन समय में फोटोकापी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगी।

6. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिये वैध होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम 03 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
7. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्धन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जावेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिये प्रभावी रख सके वही आवेदन करे।
8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को सम्पन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी होगी जिससे की कार्यालय के कार्य में रुकावट न हो।
9. कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होंगे।
10. ठेकेदार फोटोकापी मशीन के रखरखाव के लिये जिम्मेदार होगा। स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.), टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकापी मशीन को चलाने के लिये पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकापी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो अगर कार्य में रुकावट होगी तो रुपये 500/- प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी इसके अतिरिक्त फोटोकापी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफारमेन्स सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।

12. आदेशित कार्य को पुरा करने के लिये जिस फोटोकापी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु कय की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।
13. संस्था द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकापी मशीन की बनावट और माडल की जानकारी सर्विस टेक्स का प्रमाण टीन नंबर और केन्द्र साशित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकापी की आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान की गई हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टिपूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे संपर्क किया जा सके इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिये।
14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुंच पाये। इस शर्त का उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतना होंगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी/निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।
15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेकलिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे को अमान्य किया जावेगा।
17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छुट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
18. जिला न्यायालय द्वारा केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करता है।
20. ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबुझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर जिला एवं सत्र को न्यायाधीश उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घण्टे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।
22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकापी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/-रुपये प्रति घटना /प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।
23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।
24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों का अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को क्षतिपूर्ति देगा।

25. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपत्ति को क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।

27. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा परन्तु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन होंगे और उनके द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म.प्र.)